

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्र. एफ 20(34)ग्रावि/नरेगा/ईएफएमएस/अंकमिलान/2021/पार्ट-1/23

जयपुर, दिनांक

04 JAN 2023

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्टेट ईएफएमएस (e-FMS)-SNA खाते से किये जा रहे भुगतान के अंक मिलान बाबत (दिनांक 01.08.2022 से 31.10.2022 तक)।

संदर्भ: इस विभाग का पूर्व पत्र दिनांक 16.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संधारित स्टेट ईएफएमएस खाते से श्रमिकों के भुगतान व अन्य भुगतान हेतु आप द्वारा दिनांक 01.08.2022 से 31.10.2022 तक नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से आहरित किये गये भुगतान का विवरण पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है (परिशिष्ट-ए) सॉफ्ट कोपी जिसमें जिलेवार जारी किये गये एफटीओ की राशि, बैंक द्वारा इस संबंध में डेबिट की गई राशि एवं रिजेक्टेड एफटीओ की राशि का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट-ए (Excel Soft Copy) के अनुसार सफल भुगतान राशि (Success Amount) का अंक मिलान कराना सुनिश्चित करावें तथा स्टेट ईएफएमएस खाते के अंक मिलान के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें :-

1. प्रत्येक जिले/ब्लॉक/ग्राम पंचायत द्वारा स्टेट ईएफएमएस (State e-FMS) के माध्यम से राज्य स्तरीय खाते से आहरित की गई राशि की अपनी रोकड पुस्तिका में लाल स्याही से प्राप्ति एवं भुगतान दोनों पक्षों में नोशनल आधार पर प्रविष्टि की जावेगी।
2. जिला एवं पंचायत समिति की रोकड बही में स्टेट ईएफएमएस (State e-FMS) खाते से आहरित राशि संबंधी प्रविष्टि ही किए जाने की आवश्यकता है। रोकड बही के प्राप्ति पक्ष में जिला/पंचायत समिति के लिए आहरित राशि को लिखा जावेगा एवं भुगतान पक्ष में जिला कार्यालय द्वारा पंचायत समितिवार विवरण दर्ज किया जावेगा एवं पंचायत समिति द्वारा रोकड बही के भुगतान पक्ष में ग्राम पंचायतवार विवरण दर्ज किया जावेगा।
3. ग्राम पंचायत की रोकड बही में भी स्टेट ईएफएमएस (State e-FMS) खाते से आहरित राशि की प्रविष्टि की जावेगी। प्राप्ति पक्ष में उस माह में ग्राम पंचायत के लिए आहरित राशि को लिखा जावेगा तथा भुगतान पक्ष में कार्यवार व्यय का विवरण दर्ज किया जावेगा।
4. राज्य स्तर से प्रेषित उक्त सूचना के क्रम में पंचायत समिति स्तर पर नरेगा सॉफ्ट द्वारा जारी एफटीओ एवं राज्य स्तर के बैंक से भुगतान किये गये एफटीओ की दो अलग-अलग पत्रावलियां संधारित की जावेगी तथा नरेगा सॉफ्ट द्वारा जारी एफटीओ का राज्य स्तर के बैंक से भुगतान किये गये एफटीओ से शत प्रतिशत मिलान किया जावेगा।

उक्त अंक मिलान में किसी भी प्रकार का अन्तर पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब राज्य स्तर को ई-मेल famgnrega@gmail.com पर पंचायत समिति द्वारा सीधे ही प्रेषित की जावेगी।

5. स्टेट ईएफएमएस (State e-FMS) एवं एन-ईएफएमएस (Ne-FMS) के लिए पंचायत समिति स्तर पर अलग-अलग पत्रावलियां संधारित की जाकर अंक मिलान की कार्यवाही की जावेगी।
6. परिशिष्ट-ए (Excel Soft Copy) के अनुसार सफल भुगतान राशि (Success Amount) का अंक मिलान कर निम्न प्रारूप में सूचना राज्य मुख्यालय को पांच दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें :-

| जिला कोड (District Code) | जिले का नाम (District Name) | सफल भुगतान राशि (Success Amount) |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | |


(राशि रुपये में)

इस विभाग द्वारा प्रेषित स्टेट ईएफएमएस (State e-FMS) एवं एन-ईएफएमएस (Ne-FMS) के विवरणों के आधार पर ही वर्ष 2022-23 की सी.ए. रिपोर्ट तैयार की जावेगी। जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्टेट ईएफएमएस (State e-FMS) खाते एवं एन-ईएफएमएस (Ne-FMS) से डेबिट की गई शुद्ध रकम को ही वर्ष 2022-23 का व्यय मानते हुए इनके पूर्ण समायोजन की कार्यवाही की जानी है। अंक मिलान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मुख्यालय को सूचित किया जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,




(कुसुम धारवाल)

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ/लेखाधिकारी ईजीएस, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. एसीपी/प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



वित्तीय सलाहकार, ईजीएस